

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

सुखराम खोखर
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
18.12.2020

मिसल नम्बर

83 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

तारीख दायरा

23.10.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य विक्रेता एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री पवन कुमार विजय पुत्र श्री रामगोपाल विजय एफ.बी.ओ मैसर्स राजेश किराणा स्टोर
प्रताप नगर कॉलोनी नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्रताप नगर कॉलोनी
नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0

2- मैसर्स राजेश किराणा स्टोर प्रताप नगर कॉलोनी नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011



उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 18.12.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.08.2020 को समय 1.09 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजेश किराणा स्टोर प्रताप नगर कॉलोनी नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। एफ.बी.ओ की हैसियत से श्री पवन कुमार विजय पुत्र श्री रामगोपाल विजय एफ.बी.ओ मैसर्स राजेश किराणा स्टोर प्रताप नगर कॉलोनी नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्रताप नगर कॉलोनी नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे सरसो तेल कच्ची घाणी सोनागिरी (Mustard Oil Kachhi Ghani Sonagiri Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री पवन कुमार विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता पवन कुमार विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

804

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1158



आवेदक द्वारा दुकान मे 455-455 ग्राम के 12 मूल पैक बोलतल सरसो तेल कच्ची घाणी सोनागिरी (Mustard Oil Kachhi Ghani Sonagiri Brand) रखे हुये मे से 4 मूल पैक 455-455 ग्राम को ज्यो का त्यो प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री पवन कुमार विजय को रू0 210/-अक्षरे दौ सौ दस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा सरसो तेल कच्ची घाणी सोनागिरी (Mustard Oil Kachhi Ghani Sonagiri Brand) 455-455 ग्राम नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2558 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2558 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. पवन कुमार विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3034 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स0 एल0एस0/1139/एक्ट/2020/1210 दिनांक 21.08.2020 अनुसार पवन कुमार विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सरसो तेल कच्ची घाणी सोनागिरी (Mustard Oil Kachhi Ghani Sonagiri Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.2.2(3) अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded)का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded)स्तर का सरसो तेल कच्ची घाणी सोनागिरी (Mustard Oil Kachhi Ghani Sonagiri Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा



अर्द्ध
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
1159 टोंक


2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसो तेल कच्ची घाणी सोनागिरी (Mustard Oil Kachhi Ghani Sonagiri Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसो तेल कच्ची घाणी सोनागिरी (Mustard Oil Kachhi Ghani Sonagiri Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री पवन कुमार विजय पुत्र श्री रामगोपाल विजय एफ.बी.ओ मैसर्स राजेश किराणा स्टोर प्रताप नगर कॉलोनी नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्रताप नगर कॉलोनी नेकचाल रोड देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0